झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–3942 वर्ष 2008

श्रीमती आसिया खातून, पत्नी–श्री सुलेमान अंसारी, निवासी–ग्राम–महाराजगंज, पी0ओ0–बामंगम, पी0एस0–सारथ, जिला–देवघर।

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सारथ, देवघर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवघर, देवघर समाहरणालय, जिला–देवघर।
4. उपायुक्त, देवघर।
5. श्रीमती सुनीता देवी प्रमाणिक, पत्नी–श्री संजय ठाकुर, निवासी–ग्राम–महगुनज, पी0ओ0–बामंगामा, पी0एस0–सारथ, जिला–देवघर।

.... उत्तरदाता

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमार्थ पटनायक

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री भोलानाथ ओझा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता राज्य के लिएः– श्री चंद्रशेखर सिंह, सीनियर एस0सी0–III का ए0सी0-I

उत्तरदाता सं0–5 के लिएः– सुश्री रितु कुमार, अधिवक्ता, श्री एस0के0 देव, अधिवक्ता, श्री विकाश कुमार, अधिवक्ता।

09/दिनांकः 19 मार्च 2018

कैप्शन किए गए रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ दिनांक 15 मई, 2008 के मेमो जिसके द्वारा महाराजगंज में आंगनबाड़ी सेविका के रूप में प्रत्यर्थी सं0–5 की नियुक्ति अभिपुष्ट की गई है और प्रत्यर्थी सं0–5 की चयन के तरीकों की जाँच के लिए याचिकाकर्त्ता द्वारा दाखिल अभ्यावेदन अस्वीकार किया है, के अभिखंडन के लिए और आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति में की गई अनियमितताओं की व्यक्तिगत जांच करने के लिए और प्रत्यर्थी सं0–5 की नियुक्ति अभिखंडित करने के बाद महाराजगंज, देवघर में आंगनबाड़ी सेविका का चयन करने के लिए नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रत्यर्थी सं0–4 को निर्देश देने की प्रार्थना किया है।

2. रिट आवेदन में दर्शाया गया तथ्य संक्षेप में यह है कि महाराजगंज में आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए दिनांक 14.06.2007 को ग्रामीणों की बैठक में याचिकाकर्त्ता प्रतिवादी सं0–5 सहित अन्य उम्मीदवारों के साथ उपस्थित हुई और उक्त पद पर चयन के लिए सभी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद प्रतिवादी सं0–5 को इस आधार पर चुना गया कि याचिकाकर्त्ता का हिंदी का ज्ञान अच्छा नहीं है। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्त्ता ने प्रतिवादी सं0–4 के समक्ष अभ्यावेदन दिया जिसने प्रतिवादी सं0–3 को मामला पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रतिवादी सं0–2 द्वारा जाँच की गयी थी और 27.09.2007 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महाराजगंज आंगनबाड़ी केंद्र में लाभार्थी मुस्लिम समुदाय के हैं और मुस्लिम समुदाय से आंगनबाड़ी सेविका नियुक्त करना उचित होगा। लेकिन प्रतिवादी

सं0–2 की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी सं0–3 ने नकली जाँच किया और अभिनिर्धारित किया कि बहुमत लाभार्थी पिछड़े जाति के हैं और इसके अतिरिक्त याचिकाकर्त्ता महाराजगंज की निवासी नहीं है।

3. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया कि याचिकाकर्त्ता के आवेदन को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वह हिंदी नहीं जानती है, लेकिन उसके अभ्यावेदन को खारिज करते हुए प्रत्यर्थियों ने नया आधार लिया कि वह महाराजगंज का निवासी नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–2 ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिकांश लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से हैं जबकि प्रतिवादी सं0–3 ने महाराजगंज आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों की जनसांख्यिकीय गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मामले की जाँच प्रतिवादी सं0–4–उपायुक्त द्वारा कराया जाए। आरंभ में, याचिकाकर्त्ता को केवल इस आधार पर नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था कि वह हिंदी नहीं जानती है, लेकिन याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उसने बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।

4. इसके खिलाफ उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए 14.06.2007 को आयोजित बैठक में प्रतिवादी सं0–5 को उसकी योग्यता और उसके पिछड़ी जाति जो लाभार्थियों का समूह है, से आने के आधार पर बैठक में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से चयनित किया गया था। बैठक में, दोनों उम्मीदवारों को हिंदी में आवेदन भरने के लिए कहा गया था, लेकिन याचिकाकर्त्ता

को हिंदी में आवेदन भरने में सक्षम नहीं पाया गया था, इसलिए, उसके नाम पर विचार नहीं किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–3–जिला कल्याण अधिकारी ने इस मामले की जाँच की और उस संदर्भ में उपायुक्त, देवघर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि प्रश्नगत पद पर उत्तरदाता सं0–5 का चयन विधिक है। अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर ने भी दिनांक 5.11.2007 के पत्र के द्वारा सूचना दी कि आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सेविका के रूप में श्रीमती सुनीता देवी (प्रत्यर्थी सं0–5) का चयन विधिक है। प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–ई जो उस क्षेत्र के मतदाताओं की सूची है, का उल्लेख करते हुए उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मतदाता सूची के सादे पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुमत लाभार्थी समूह ओ0बी0सी0 का है।

5. उत्तरदाता सं0–5 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उत्तरदाता की नियुक्ति को विधिक माना गया है और वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन वर्ष 2008 से संबंधित अधिकारियों के सम्पूर्ण संतुष्टि के साथ कर रही है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने पर और अभिलेख के परिशीलन पर ऐसा प्रतीत होता है कि सारथ प्रखंड में महाराजगंज आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए 14.06.2007 को की गई एक आम बैठक में केवल दो आवेदक वर्तमान याचिकाकर्त्ता और प्रतिवादी सं0–5 उपस्थित हुए, जहाँ दोनों उम्मीदवारों को हिंदी में आवेदन पत्र भरने के लिए कहा गया था, लेकिन याचिकाकर्त्ता आवेदन को हिंदी में ठीक से भरने में विफल रही, इसलिए उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया

जिसके परिणामस्वरूप शेष उम्मीदवार प्रतिवादी सं0–5 को नियुक्ति दी गई। इसके अलावा, अभिलेख पर उपलब्ध दलीलों से, विशेष रूप से मतदाता सूची से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी में बहुमत समूह पिछड़े जाति का है, इसलिए पिछड़े वर्ग से आने वाली प्रतिवादी सं0–5 का चयन बिल्कुल न्यायोचित एवं विधिक रूप से संपोषणीय है।

7. पूर्वोक्त कारणों से, मेरा विचार है कि रिट आवेदन में इस न्यायालय की किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसे तद्नुसार किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

ह0

(प्रमार्थ पटनायक, न्याया0)